कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्र0क्र0 432/बी–121/13–14

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदक मेसर्स श्रीअग्रवाल कॅालोनाईजर व्दारा श्री संजीव अग्रवाल निवासी सागर प्लाजा 250 जोन 2 एम पी नगर भोपाल व्दारा आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र, खसरे की नकल, व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर ग्राम बगरोदा स्थित भूमि खसरा क्रमांक1/5/2/क, 1/5/2/ग/1,5/1/1/1,1/5/2ख,5/1/2/1कुल रकबा 5.561 हेक्ट भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा है ।

उक्त भूमि के संबंध में अपर तहसीलदार से जांच प्रतिवेदन लिया गया । अपर तहसीलदार के प्रतिवेदन अनुसार वर्तमान अभिलेख में ग्राम बगरोदा स्थित भूमि खसरा क्रमांक1/5/2/क, 1/5/2/ग/1, 5/1/1/1, 1/5/2ख, 5/1/2/1कुल रकबा 5.561 हेक्ट हेक्ट भूमि आवेदक श्री अग्रवाल कलोनाईजर व्दारा श्री संजीव अग्रवाल निवासी सागर प्लाजा 250 जोन 2 एम पी नगर भोपाल के नाम से भूमि स्वामी स्वत्व में दर्ज है वर्ष 1959 के खसरा नकल अनुसार निजी भूमि है शासकीय भूमि नही है।

अतः अपर तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि स्वामी स्वत्व की होकर अशासकीय भूमि है। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल यह प्रमाणित करता है कि शासकीय अभिलेखो के अनुसार यह भूमि शासकीय नही है। नगर पालिका कोलार एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा अन्य कार्यालय द्वारा स्वीकृत योजना एंव नक्शे के अनुरूप निर्माण कार्य कराये जाने एवं म0प्र0भू राजस्व संहिता की धारा 59 एवं 172 के अंतर्गत आवश्यक अनुमतियॉ प्राप्त करने के पश्चात् इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है उक्त भूमि पर यदि किसी प्रकार का निर्माण विकास कार्य किया जाता है तो वह मास्टर प्लान के अनुरूप होगा तथा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वत्व का प्रमाण नही है । यह प्रमाण पत्र केवल यह पुष्टि करता है कि उक्त भूमि शासकीय नही है । यह अनापत्ति प्रमाण पत्र यह प्रमाणित नहीं करता कि:–

1. उक्त भूमि का भूमि स्वामी आवेदक है तथा
2. उक्त भूमि नगर भूमि सीमा अधिनियम 1976 प्रावधानों से मुक्त है तथा
3. इस दस्तावेज में कोई कांट, छांट,नही है ।
4. किसी भी प्रकार के भूमि/स्वत्व संबंधी अथवा न्यायालीयन वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त हो जावेगा ।
5. उक्त भूमि यदि नदी/नाले के समीप हो तो इस हेतु शासन व्दारा जारी प्रावधान लागू होगें जिनका पालन आवेदक व्दारा किया जाना अनिवार्य होगा ।
6. प्रश्नाधीन भूमि का शासन हित में अर्जन किया जाता है या अर्जन किया गया हो अथवा म.प्र कृषि अधिनियम 1960 के अंतर्गत अतिशेष घोषित किया है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

(मुहर: अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल)

दिनांक 13/8/14

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर जिला भोपाल

(मुहर: अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल)